

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2019

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल के रूप में विकसित किये जाने हेतु धनराशि ₹0-680.59 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1229-30/आर0के0वी0बाई0/एस0ई0टी0सी0/सहारनपुर/2018-19, दिनांक 08.03.2019 एवं कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-223/12-3-2019/100(37)/2017, दिनांक 08.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल के रूप में विकसित किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि ₹0-1105.73 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि ₹0-680.59 लाख (रूपये-छ: करोड़ अस्सी लाख उन्सठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

परियोजना का नाम	लेखाशीर्षक/मानक मद	अवमुक्त धनराशि	प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि
1	2	3	4
औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल	अनुदान सं0-11 लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के.60/रा.40-के. + रा.)0207-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें- (के.60/रा.40-के. + रा.)		
	24-वृहत निर्माण कार्य	680.59	680.59
	योग-	680.59	680.59

(रूपये-छ: करोड़ अस्सी लाख उन्सठ हजार मात्र)

- (1) उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- (2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- (3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।
- (4) योजनान्तर्गत लाभार्थी को दिये जा रहे लाभ में द्विरावृत्ति नहीं होगी अर्थात् राज्य सेक्टर या किसी अन्य समान योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लाभार्थियों के नाम Net पर रहेंगे।
- (5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।
- (7) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।
- (8) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह के 5 तारीख तक उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, 30प्र0शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)

संयुक्त सचिव।

संख्या-9/2019-613(1)/58-2019, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
- (2) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0 लखनऊ।
- (3) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, 30प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
- (4) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0 लखनऊ।
- (5) संबंधित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- (6) कृषि अनुभाग-3, 30प्र0शासन।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1,
- (8) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1,
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)

संयुक्त सचिव।